<u>समाचार</u>

नोवल कोरोना वायरस

नहीं लगाया मास्क, किया सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन, लगाया गया 19100 रू. अर्थदण्ड

(कोविड–19 प्रोटोकाल के उल्लंघन पर रखी जा रही कड़ी नजर, की जा रही कार्यवाही)

कोरबा 26 नवम्बर 2020 –बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलकर सड़क, सार्वजनिक स्थानों, बाजारों व दुकानों में पहुंचने वाले लोगों पर कार्यवाही करते हुए निगम अमले ने अर्थदण्ड लगाया, वहीं दुकानों ,प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर भी कार्यवाही की। आज मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर निगम के विभिन्न जोनांतर्गत 19100 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा लगातार बरकरार है तथा अभी भी प्रतिदिन काफी संख्या में कोरोना पाजिटिव मरीज मिल रहे हैं। जिला प्रशासन एवं नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए लगातार जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं किन्तु लोगों द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने हेतु कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, वे बिना मास्क पहने घरों से बाहर निकलकर सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच रहे हैं तथा कोविड–19 के प्रोटोकाल का पालन न करने से संक्रमण का और अधिक प्रसार होने की संभावना बढ़ रही है। नगर निगम के अमले द्वारा लगातार इस पर कार्यवाही की जा रही है तथा लोगों को कोविड–19 के प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य रूप से करने की समझाईश देने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अर्थदण्ड लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर कार्यवाही करते हुए निगम अमले ने 19100 रूपये का अर्थदण्ड लगाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार निगम के कोरबा जोनांतर्गत 1300 रूपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 7400 रूपये, कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 1000 रूपये, रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 1000 रूपये, बालको जोनांतर्गत 1000 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 4800 रूपये, बांकीमोंगरा जोनांतर्गत 900 रूपये तथा सर्वमंगला जोनांतर्गत 1700 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

<u>दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से कराएं</u> –निगम अमले द्वारा बाजारों, व्यवसायिक परिसरों में पहुंचकर दुकानदारों, प्रतिष्ठान संचालकों को लगातार समझाईश दी जा रही है कि वे अपनी दुकानों, प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन कराएं, इस हेतु आवश्यक मार्किंग व्यवस्था करें, ताकि दुकानों में पहुंचने वाले ग्राहकों के मध्य निर्धारित दूरी बनी रहे, दुकानों प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना संबंधित दुकानदार की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही जो ग्राहक

मास्क पहने बिना दुकान पर आता है, उसे दुकान में प्रवेश न करने दें, मास्क लगाने की समझाईश दें।